

प्रारूप - 3

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति-

- (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(ख) जिला
(ग) जिला वन प्रभाग
(घ) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

उ. 3 उत्तराखण्ड
पहाड़ों
पर्वत वन प्रभाग

पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथिति।

अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा-

- (क) वन का प्रकार
(ख) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 0.1
(ग) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना
(घ) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

आरक्षित वन भूमि 0.13 हे.कै.

लागू नहीं
लागू नहीं

भूकरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

लागू नहीं

वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी।

लागू नहीं

वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता।

लागू नहीं

- (क) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा।
(ख) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)।
(ग) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)।
(घ) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)।
(ङ) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं, तो उसके ब्यौरे।

लागू नहीं

क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे) —

पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें-

- (क) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है, और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
(ख) यदि नहीं तो वन भूमि के सफाई किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

लागू नहीं

लागू नहीं

9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे-

- (क) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शन सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
(ख) यदि हां, की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
(ग) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

नहीं

10. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे-

- (क) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथिति।

- (ख) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। ~~साथ नहीं~~
- (ग) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। ~~दाखिल करा गया है।~~
- (घ) रोपित की जाने वाली प्रजातियों, कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं) ~~हाँ~~
- (ङ) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिख्य- ~~कोई प्रस्तावित वृक्षारोपण स्कीम मौजूद नहीं है।~~
- (च) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचानकर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं) ~~हाँ~~

वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं) ~~साथ नहीं~~

स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें। ~~प्रस्तावित प्रस्तावित रिपोर्ट~~
~~दाखिल प्रस्ताव क्षेत्र की तकनीकी एवं ह्यूमानीय बाधाएं एवं विभाग के परिपेक्ष्य~~
~~प्रस्तावित विभाग के स्तर पर करवाया होगा। अतः निम्नलिखित सिफारिशें~~
~~इस प्रस्ताव से प्राप्त प्रमाण प्रतीत होता है कि उप वन संरक्षक द्वारा~~
~~दाखिल हुआ रि. 11-ए के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।~~
~~उपमन्त्रालय को एकलव्य आवसीय विभाग को प्रस्ताव की~~
~~जांच के प्रमाणों से संतुष्टि की जाती है।~~

दिनांक

1-11-2017

स्थान
मुंबई

हस्ताक्षर

(एस. के. वर्मा)

नाम

शासकीय मुद्रा

(दीप चंद्र झा)

अधिशाली, अभिवक्ता
 निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड प्रेजिडेंसी मिशन
 नया बकराता (पुरोड़ी)

उप-निर्देशक, वन विभाग
 बकराता नया बकराता
 बकराता

प्रमाणित
 चक्रवर्ती (वहमद)